(185)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2493-एक/2016 विरूद्व आदेश दिनांक 21-07-2016 - पारित व्दारा अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना - प्रकरण कमांक 255/2014-15 अपील

छोटेलाल पुत्र तुलसीराम बघेल
ग्राम दैपरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्व

1- बच्चन सिंह 2- हाकिम सिंह
3- लाल सिंह तीनों पुत्रगण
मुरारीलाल वघेल ग्राम दैपरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड ---असल अनावेदकगण
4- रामदत्त पुत्र छोटेलाल बघेल
ग्राम दैपरा तहसील अटेर जिला भिण्ड ---तरतीवीं अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक क-4 के अभिभाषक श्री वाई0एस0भदौरिया)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 22 - 12 - 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, यंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 255/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-7-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम दैपरा की भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 5.19 हैक्टर के भूमिस्वामी छोटेलाल, मुरारीलाल, रामेश्वरदयाल थे जिनका उक्ताकित आराजी में समान हिस्सा था। रामेश्वरदयाल की मृत्यु होने पर बसीयतनामा दिनॉक 10-672003 के आधार पर रामदत्त पुत्र छोटेलाल ने तहसील न्यायालय में नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर नायव तहसीलदार सुरपुरा ने प्रकरण कमांक 19/2003-04 अ-6 पंजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 25-10-2004 पारित करते हुये मृतक के भाई छोटेलाल एंव भंतीजे अनावेदकगण का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील कमांक 23/2013-14 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने आदेश दिनांक 14-5-2015 पारित करके मृतक रामेश्वर दयाल के स्थान पर आवेदक के नाम नामान्तरण के आदेश देते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 25-10-2004 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 255/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-7-2016 से अपील स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी अटेर का आदेश दिनांक 14-5-2015 निरस्त किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव लेखी बहस के

के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर परिलक्षित है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 21-7-16 में नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष प्रस्तुत अपील को प्रचलन-योग्य नहीं माना है क्योंकि नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 25-10-04 पक्षकारों के बीच हुये राजीनामे पर आधारित है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14-5-2015 का परीक्षण करने पर स्थिति यह है कि नायब तहसीलदार के समक्ष जो राजीनामा प्रस्तुत हुआ है उस पर बचन सिंह, रामवीर अथवा छोटेलाल के हस्ताक्षर नहीं है जिसके स्पष्ट है कि राजीनामा आवेदन सभी पक्षकारों की सहमति पर आधारित न होने से अग्राह्य था, किन्तु नायब तहसीलदार व्दारा विसंगतिपूर्ण राजीनामे के आधार पर आदेश दिनांक 25-10-04 पारित करने की भूल की गई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने आदेश दिनांक 14-5-15 से ठीक ही निरस्त किया है एंव राजीनामा को अधार मानकर अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना व्दारा पारित आदेश दि0 21-7-16 भी दोषपूर्ण है।

5/ मूल भूमिस्वामी रामेश्वरदयाल बेओलाद मृतक हुआ है। विचार योग्य है कि मृतक व्दारा छोड़ी गई उक्तानुसार भूमि आवेदक एंव अनावेदकगण में से किसे न्यायगत होगी, जबकि आवेदक मृतक रामेश्वर का सगा भाई है एंव असल अनावेदकगण मृतक के भतीजे (भाई के लड़के) हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-8 में दी गई वारिसान की अनसूची अनुसार मृतक रामेश्वर की पत्नि एंव बच्चे (अनुसूची एक के वारिस) न होने की दशा में उसके जीवित सगे भाई अनुसूची वर्ग-2 में आवेंगे ।

म0प्र0वीकली नोट 2007(II) 80 पातीराम विरूद्ध मुला तथा अन्य का न्याय दृष्टांत इस प्रकार है :-

" हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 - धारा 8,9,11 तथा अनुसूची - वर्ग एक का कोई वारिस छोड़े बिना हिन्दू पुरूष की मृत्यु - भाई और भतीजा पीछे छोड़े - उसकी संपत्ति उसके भजीते को अपवर्जित करते हुये उसके भाई को न्यायगत होगी।''

परन्तु अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनॉक दिनांक 21-7-2016 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है इसके विपरीत अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 14-5-15 के अंतिम पद में दिया गया निष्कर्ष नियमानुसार होना पाया गया है, जिसके कारण अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 21-7-16 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 255/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-7-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण कमांक 23/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 14-5-2015 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर